छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

क्रमॉक /   / परीक्षा / 2024   रायपुर, दिनॉक   / 10 / 2024

प्रति

प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें
(छत्तीसगढ़)

अत्यावश्यक निर्देश

विषयः— शैक्षणिक सत्र 2024—25 कक्षा 9वीं एवं 10वीं के नियमित परीक्षार्थियों के चेकलिस्ट में संशोधन करने बावत्।

———00———

शैक्षणिक सत्र 2024—25 कक्षा 9वीं एवं 10वीं के चेकलिस्ट आपकी संस्था को उपलब्ध कराई जा रही है। दिये गये विन्दु अनुसार चेकलिस्ट मे संशोधन की कार्यवाही की जावें।

1. आपकी संस्था में उपलब्ध अभिलेख अनुसार छात्र / छात्राओ के नाम / पिता का नाम / माता का नाम / जन्मतिथि / माध्यम / विषय / वर्ग / लिंग / फोटो / नामांकन का मिलान कर चेकलिस्ट मे संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. चेकलिस्ट में जिस भाग में संशोधन है उस भाग को लाल पेन से गोला लगाकर उसके सामने लाल पेन से अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखकर संशोधन करें तथा प्राचार्य अनिवार्य रूप से प्रमाणित कर प्रेषित करें।
3. चेकलिस्ट में किये गये संशोधन के पेजो को पृथक से एवं शेष पेजो भी को जमा करना अनिवार्य है।
4. कक्षा 9वीं एवं 10वीं की प्राप्त चेकलिस्ट में किये संशोधन अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय मे जमा करें। संशोधन नही होने पर लिखित मे जानकारी देवें।
5. **चेकलिस्ट मे संशोधन नही करने की दशा में परीक्षाफल घोषणा उपरांत जारी की गई छात्र / छात्राओ की अंकसूची में संशोधन प्राप्त होने पर संशोधन की कार्यवाही नही की जावेगी। जिसकी समस्त जबाबदारी संस्था प्राचार्य / पालक की होगी।**
6. मण्डल कार्यालय में चेकलिस्ट जमा करने की अंतिम तिथि 20.11.2024 निर्धारित है, इसके पश्चात चेकलिस्ट जमा नही लिया जावेगा। जिसकी समस्त उत्तरदायित्व संस्था / संस्था प्राचार्य का होगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / 2193 / परीक्षा / 2024   रायपुर, दिनॉक 23/10/24
/ 10 / 2024

1. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर / अम्बिकापुर / जगदलपुर एवं राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर, डाटा कक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर की ओर संस्थाओ के पोर्टल में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ ।

23/10/24

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर